बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग—१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि १७ दिसम्बर, १९७५ ।

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—६, १२, ९, एवं १३ । १-१४

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—६३, १८४, से १८९ तक १९१ से १९४ तक, १९६ से २०० तक, २०४, २०६ से २०९ तक, २१६ से २२० तक, २२२ से २३० तक, २३४; २३५, २३८, २४०, २४२ से २४९ तक, २५२, २५३, २५७, २५८, २६२, २६३, २६५, २६६, १५-८१

अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या द-२, द-९, त-१, त-५, एवं त-८ । ८१-८४

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)—परिशिष्ट ८५-९६

दैनिक निबंध ९७-९९

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके संशोधन नहीं प्राप्त हुए हैं ।

भ्रष्टाचार का आरोप

२१६। श्री सूरजदेव सिंह—क्या मंत्री, उत्पाद विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

उत्पाद विभाग में कितने राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों पर कौन-कौन आरोप भ्रष्टाचार निरोध विभाग द्वारा प्रमाणित हुये हैं और उनके ऊपर अब तक कौन-कौन कार्रवाई की जा चुकी है ?

श्री नरसिंह बैठा- उत्पाद विभाग के केवल एक राजपत्रित पदाधिकारी, श्री कृष्ण विहारी शर्मा, उत्पाद निरीक्षक के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप निगरानी विभाग द्वारा प्रमाणित पाया गया। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है। अराजपत्रित पदाधिकारी उत्पाद अवर निरीक्षक, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध घूस लेने का आरोप एवं उत्पाद सहायक अवर निरीक्षक, श्री राम परीक्षण मिश्र के विरुद्ध सरकार के बिना पूर्व सूचना के सम्पत्ति अर्जित करने के प्रमाणित आरोप पर पहले को सरकारी सेवा से मुक्त एवं दूसरे को पेन्शन से एक रुपये प्रतिमाह की कटौती की गई। उत्पाद अवर निरीक्षक, श्री गिरिजानन्दन तिवारी, उत्पाद सिपाही, श्री राम नरेश सिंह, श्री लखनदेव तिवारी एवं श्री नन्दीपत तिवारी के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रमाणित आरोप पर विभागीय कार्यवाही चलाई जा रही है।

श्री राम सुयश सिंह के खिलाफ कार्रवाई।

२१७। श्री चन्देश्वर प्रसाद—क्या मंत्री, उत्पाद विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री राम सुयश सिंह, मंत्री, खरसान कुसमारी बहुधंधी सहयोग समिति लि०, खरसान, जिला सीतामढ़ी ने वर्ष १९७२ में जिला उत्पाद कार्यालय, मुफ्फरपुर के लिपिक, श्री गणेश प्रसाद के खिलाफ १००) रु० घूस माँगने का झूठा आरोप लगाया था ;

(२) क्या यह बात सही है कि पुनः वर्ष १९७३ में श्री सिंह ने शान्ति कुमार सिन्हा, उपायुक्त ई० आई बी० पटना के खिलाफ घूस देकर प्रमाण पत्र लाने का